जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
123/16
A3/1

**अपील सूचना अधि. सं0 122/2016 अनवानी श्री महादेव प्रसाद गर्ग, वार्ड न0 15, पुरानी आबादी, आदर्श टाकीज रोड़, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) भू.अ. श्रीगंगानगर**

**21.09.2016**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महादेव प्रसाद गर्ग उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) भू.अ. श्रीगंगानगर से प्रा0 पत्र दिनांक 27.06.2016 के द्वारा चाही गई सूचनांए उपलबध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाये जाने के आदेश दिये जावे और अब तक सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण तहसीलदार, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महादेव प्रसाद गर्ग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) भू.अ. श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1– चक 1 ''ए'' में स्थित कल्याण भूमि की जगह किस व्यक्ति द्वारा दान दी गई थी, कब दी गई व कितनी दी गई।
2– भूतनाथ मंदिर (पदमपुर रोड़) किस व्यक्ति द्वारा दान दी गई थी?
3– उक्त भूमि में लगा हुआ बाग किस व्यक्ति के नाम था?
4– श्रीरामनगर (अब श्रीगंगानगर) महाराजा श्री गंगासिंह के समय का नक्शा।

उक्त सूचनांओ के संबंध में तहसीलदार (राजस्व) भू.अ.शाखा श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 2857 दिनांक 08.08.2016 प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र कमांक/ भू.अ./ सू.का.अधि.अधि. 2005/ 2016/ 2438 दिनांक 08.07.2016 के तहत रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आवेदक द्वारा महाराजा गंगासिंह के द्वारा दान में दी गई भूमि की सूचना एवं महाराजा गंगासिंह के समय का नक्शा मांगा जा रहा है जो कि कार्यालय में उपलब्ध नही है।

तहसीलदार (राजस्व) भू.अ.शाखा श्रीगंगानगर ने पत्र सं0 भू.अ./सू.का अधि.अधि. 2005/2016/2438 दिनांक 08.07.2016 द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना इस प्रकार हैः–
1– चक 1 ए छोटी में कल्याण भूमि की जगह राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी के खाता सं0 1 के खसरा सं0 84 में 70787 हैक्टेयर गै0मु0 शमशान के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि किसी व्यक्ति द्वारा दान दी गई थी वा कब दी गई थी, कितनी भूमि दी गई थी, इसका रिकार्ड में अंकन नही है और पटवारी के पास इसका रिकार्ड नही है।
2– भूतनाथ मन्दिर (पदमपुर रोड़) किसी व्यक्ति द्वारा दान दी गई थी इसका रिकार्ड में अंकन नही है।
3– भूतनाथ मन्दिर के नाम भूमि का रिकार्ड में कोई अंकन नही है।
4– रामनगर (वर्तमान श्रीगंगानगर) महाराजा श्री गंगासिंह के समय का नक्शा उपलब्ध नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
123/16
A3/2



अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई चार बिन्दुओ की सूचना में से बिन्दु सं0 1 से 3 की चाही सूचना कोई निश्चित अवधि की न होकर बल्कि प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 जुलाई 2008 भी अवलोकनीय है जिसमें भी निम्न अंकित किया गया है:–

> अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। उपलब्ध सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।

इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) भू.अ.शाखा श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 08.07.2016 उचित है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

1717-18
30-9-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) भू.अ.शाखा श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर